

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 सितम्बर 2021—भाद्र 26, शक 1943

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रबर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2021

क्र. एफ १(ए)१४४-२०१७-ब-२-दो.— राज्य शासन, श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस अधीक्षक,
शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका
चालू कार्य श्री टी. के. विद्यार्थी, भापुसे, सेनानी, ३४वाँ, वाहिनी,
विसबल, धार द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस अधीक्षक,
शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण
करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी
स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के
पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, सचिव।

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2021

क्र. एफ 1(ए)108-2020-ब-2-दो.— राज्य शासन श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, तत्का. पुलिस अधीक्षक, जिला नरसिंहपुर वर्तमान में पुलिस अधीक्षक, गुना के विचाराधीन लघुकृत अवकाश अवधि दिनांक 28 सितम्बर 2012 से 15 मार्च 2013 तक, 169 दिवस लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 238 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2021

क्र. एफ 1(बी)93-2021-बी-4-दो.— मान. मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश द्वारा की गई घोषणा क्रमांक सी-0670 के अनुपालन में, श्री विवेक सागर प्रसाद, अर्नश्वीय हॉकी खिलाड़ी एवं टोक्यो ओलम्पिक-2020 में हॉकी की कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य को उप पुलिस अधीक्षक (जी. डी.) के पद पर विशेष नियुक्ति दिये जाने हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 3330-03-2021-अनुभाग-6, दिनांक 14 अगस्त 2021 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक (जी. डी.) के 01 रिक्त पद को आयोग के क्षेत्राधिकार की परिधि से अपवर्जित किये जाने हेतु आयोग की सहमति के आधार पर राज्य शासन द्वारा उक्त पद मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया जाता है।

(2) राज्य शासन द्वारा श्री विवेक सागर प्रसाद आत्मज श्री रोहित प्रसाद, 173, जी. एच., शिव नगर, चांदौन, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान रूपये 15600-39100+ग्रेड पे 5400/- (सातवें वेतनमान में लेवल-12-रु. 56100-177500/-) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर विशेष नियुक्ति के तहत पुलिस मुख्यालय, भोपाल में निम्नांकित शर्तों के तहत नियुक्त किया जाता है :—

- मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भरती एवं पदोन्नति नियम, 2000 के नियम-8(2) में निर्धारित शारीरिक अर्हता (क) ऊँचाई 168 से. मी. या उससे अधिक (केवल पुरुष अध्यर्थियों के लिये) एवं नियम-8(3) में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता-किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि प्राप्त होने संबंधी नियमों का शिथिलीकरण करते हुए श्री विवेक सागर प्रसाद को नियुक्ति दिनांक पश्चात् आगामी 04 वर्षों में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता से छूट प्रदान करते हुए उप पुलिस अधीक्षक (जी. डी.) के सीधी भरती के अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद पर विशेष नियुक्ति प्रदान की जाती है।

- श्री विवेक सागर प्रसाद वर्तमान में BPCL, Bhopal में Executive Officer Grade-A के पद पर कार्यरत हैं। इन्हें उप पुलिस अधीक्षक (जी. डी.) के पद पर नियुक्ति उपरांत कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सेवा त्याग का प्रमाण-पत्र प्रशासकीय विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
- राजपत्रित पद पर नियुक्ति पश्चात् श्री विवेक सागर प्रसाद की सेवाएं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों से शासित होंगी।
- इनकी परिवीक्षा अवधि इनके द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने एवं उप पुलिस अधीक्षक के लिये विहित प्रशिक्षण एवं समस्त विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के पश्चात् समाप्त की जावेगी।
- इनकी नियुक्ति उपरांत आरक्षण नियमों के अनुपालन में उप पुलिस अधीक्षक (जी. डी.) का 01 पद रिक्त पद अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में समाहित होगा।

(3) नव नियुक्त अधिकारी आदेश प्राप्ति के दिनांक से 30 दिवस के अंदर पुलिस मुख्यालय, भोपाल में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें एवं पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार पदस्थापना स्थल से अपना क्रम आने पर कार्य मुक्त होकर मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हों। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा।

(4) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में सुयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा तथा प्रशिक्षण एवं समस्त विहित विभागीय परीक्षायें उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(5) नवनियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्रे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जावेंगे।

(6) नवनियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्यागपत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते हो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर उनसे वसूल की जावेगी।

(7) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1 जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

(8) नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(9) परीवीक्षाधीन अधिकारी द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक “बाण्ड” शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे।

(10) नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत हैं, उन्हें अपना नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजाँच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

(11) श्री विवेक सागर प्रसाद को निर्देशित किया जाता है कि वह नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं जाति प्रमाण-पत्र की मूलप्रतियाँ गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल में एवं पुलिस मुख्यालय, भोपाल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(12) श्री विवेक सागर प्रसाद का चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कराया जाकर गृह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(13) श्री विवेक सागर प्रसाद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित संभागीय चिकित्सा मण्डल से स्वयं का स्वास्थ्य परीक्षण करने हेतु उपस्थित होना होगा। संभागीय चिकित्सा मण्डल द्वारा इनका स्वास्थ्य परीक्षण कर प्रतिवेदन गृह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) श्री विवेक सागर प्रसाद की उप पुलिस अधीक्षक (जी. डी.) के पद पर वरिष्ठता इनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पूर्व में सीधी भरती से उक्त पद पर नियुक्त अन्तिम अधिकारी के नाम के नीचे निर्धारित होगी।

(15) श्री विवेक सागर प्रसाद को उप पुलिस अधीक्षक (जी. डी.) के पद पर विशेष नियुक्ति मंत्रि-परिषद आदेश, आयटम क्रमांक-8, दिनांक 31 अगस्त 2021 के अनुपालन में प्रदान की गई है।

(16) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002), दिनांक 13-05-2002 के प्रावधान अनुसार सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार नियुक्ति की प्रविष्टियाँ रोस्टरपंजी में कर दी गई हैं।

(17) प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक सन् 1994) उपबंधों का और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2021

पंजी क्र. 3204-2021-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जबलपुर में कुलसचिव के पद पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कपिल कुमार मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रतिनियुक्ति पर एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को सौंपता है।

फा. क्र. 17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक) 3312-2021—कॉर्मशियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17(ई)17-2016-इक्कीस-ब(एक) 2311-19, दिनांक 04 मई 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1, दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, जिला न्यायाधीश स्तर की सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा व्यवहार न्यायाधीश स्तर की सारणी के अनुक्रमांक 1 एवं 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा इससे संबंधित प्रतिष्ठियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी-अ

अनु. क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी का नाम (जिला न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
"1.	इंदौर	श्री सुधीर मिश्रा, सातवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, इंदौर।"

सारणी-ब

अनु. क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी का नाम (व्यवहार न्यायाधीश स्तर)
(1)	(2)	(3)
"1	इंदौर	कु. मीनाक्षी शर्मा, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 (सिनियर डिवीजन), इंदौर।
3	जबलपुर	श्रीमती तबस्सुम खान, छठवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 (सिनियर डिवीजन) जबलपुर।".

F. No. 17(E)17-2016-XXI-B(1) 3312-2021.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016) the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's notification No. 17(E)17-2016-XXI-B(1)2311-2019, dated 4th May 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 17th May 2019 namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for District Judge Level, for serial number 1 and for Civil Judge Level for serial numbers 1 and 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	District	Proposed Names of Judicial Officers (District Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"1.	Indore	Shri Sudhir Mishra, VII Additional District Judge, Indore."

TABLE

S. No.	District	Proposed Names of Judicial Officers (Civil Judge Level)
(1)	(2)	(3)
"1	Indore	Ku. Meenaksi Sharma, II CJ-I, (Sr. Division) Indore.
3	Jabalpur	Smt. Tabassum Khan, VI CJ-I, (Sr. Division) Jabalpur."

पंजी.क्र.3191-2021-इकीस-ब(एक).—राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्त पर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/रजिस्ट्रार के पद पर मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री नवीन पाराशर, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दमोह एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जिला सीधी की सेवाएं, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2021

फा. क्र. 3456-2021-इकीस-ब(एक).—न्यायिक सेवा के सदस्य श्री राकेश कुमार सिंह (जूनियर), तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश, अलिराजपुर निलंबन अवधि में मुख्यालय मंदसौर के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के आरोप के संबंध में विभागीय जाँच प्रमाणित पाए जाने पर प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 13 अगस्त 2021 में लिए गए निर्णय के आधार पर फुल कोर्ट की अनुशंसा के पश्चात् मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय ने उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से पृथक् (Removal from Service) किए जाने की अनुशंसा की है।

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा की साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों पर विचार करने के उपरान्त उक्त अनुशंसा से सहमत होते हुए, राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्री राकेश कुमार सिंह (जूनियर), तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश, अलिराजपुर निलंबन अवधि में मुख्यालय मंदसौर को दीर्घ शास्ति स्वरूप उक्त पद से (सेवा से पृथक) (Removal from Service) किया जाए।

अतः, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10(8) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार, एतद्वारा, राज्य शासन, श्री राकेश कुमार सिंह (जूनियर), तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश, अलिराजपुर निलंबन अवधि में मुख्यालय मंदसौर को दीर्घ शास्ति स्वरूप उक्त पद से (सेवा से पृथक) (Removal from Service) किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास-शाजापुर
हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, जवाहर नगर, ए. बी. रोड, देवास

देवास, दिनांक 6 सितम्बर 2021

विद्यमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सूचना

क्र. 1709-देवास-नगरानि-2021.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि, देवास वृद्धित निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है। वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 32 ग्राम निम्नानुसार है :—

1	सिया,	9	नागदा,	17	गदईसापिपल्या	25	खजुरिया,
2	दुर्गापुरा,	10	पालनगर,	18	आजमपुर सुतारखेड़ी,	26	मुकुंदखेड़ी,
3	अमरपुरा,	11	अनवटपुरा,	19	चंदाना,	27	निपानिया,
4	गददुखेड़ी,	12	सुनवानी महाकाल,	20	छायन,	28	बोरखेड़ी धाकड़
5	खटाम्बा,	13	सुकल्या क्षिप्रा,	21	मुंगावदा,	29	राजपुरा,
6	सतबड़ी,	14	अलीपुर,	22	सिंगावदा,	30	लसुड़िया नजदीक,
7	खेताखेड़ी,	15	लोहार पिपल्या,	23	भीमसी,	31	भानगढ़,
8	बलोदा,	16	टुमनी,	24	करनाखेड़ी,	32	अमलावती.

मानचित्र की एक प्रति निम्न कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है :—

- (1) संभागीय आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
- (2) जिला कलेक्टर, देवास
- (3) आयुक्त, नगरपालिका निगम, देवास
- (4) उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किए गए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में नगर तथा ग्राम निवेश के संबंधित जिला कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें।

अनिता कुरोठे, उप संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 11 जून 2021/ दिनांक 14 जून 2021

प्र.क्र. 02-अ-82-20-21 पत्र क्र.-4235-जिला भू-अर्जन-अपर कले.-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को अनुसूची के खाने (6) में उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय से स्वीकृत जिला कटनी में ग्रेड सेपरेटर लाईन बायपास का निर्माण वृहद पुल तथा उसके ऊपर रेल यातायात व्यवस्था संबंधी कार्य कराया जाना है, जो कि देश प्रदेश हित, जन विकास की सार्वजनिक प्रयोजन संबंधी कार्य योजना है जिसमें भू-अर्जन कार्यवाही समय सीमा में वांछित है। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारिक क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में कलेक्टर कटनी प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है। द्वितीय अध्यादेश दिनांक 3-4-2015 में प्रावधानिकता अनुसार प्रस्तावित रकवा निर्माण योजना आवश्यकता के अनुरूप है। इस हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण	धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4) लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	पडरिया प.ह.नं. 31 नं. बं. 208 झलबारा प.ह.नं. 30 नं. बं. 153	0.39 0.83	मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल जबलपुर.	कटनी ग्रेड सेपरेटर बायपास लाईन के निर्माण हेतु.

- (2) प्रस्तावित अर्जन क्षेत्र में कोई धार्मिक संस्थान, स्मारक, मजार, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि प्रभावित नहीं होते, जिससे जनसंताप हो।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 11 अगस्त 2021

क्र. 103-अ-82-20-21-भू-अर्जन-21-7887-मौजा इटावा, पट.ह.नं.-51, तहसील बीना.—मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा द्वारा मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी लाईन योजनांतर्गत ग्राम इटावा पट. ह. नं. 51 तहसील बीना, जिला सागर की भूमि खसरा नंबर 144/1/1, 147/3, 147/4, 176/1/1, 176/1/2, 176/3/1, 435/1/1, 435/1/3/1, 435/2/1, 436/1/1, 436/1/2, 437/1/1, 438/3, 438/4, 448/1, 449/1/1, 449/2, 450/1/1, 131/1/1, 131/1/2, 131/1/3, 132/3/1, 132/3/2, 147/1/1, 147/5 रकबा क्रमशः 0.504, 2.023, 2.023, 0.126, 0.008, 0.116, 6.125, 0.037, 0.234, 2.259, 0.120, 0.390, 2.275, 0.380, 0.412, 0.380, 0.412, 2.428, 2.023, 2.428, 2.089, 1.518, 1.398, 1.637, 5.626, 0.849, 1.195, 2.023 हैं। में से कुल रकबा 3.094 है। भूमि का अर्जन प्रस्तावित है। प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण दल का गठन किया जाकर सार्वजनिक सूचना क्रमांक 103-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-2512 सागर, दिनांक 16 मार्च 2021 जारी की गई थी। उक्त भूमि का समुचित सरकार अर्जन करना चाहती है। समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है।

संलग्न : प्रस्तुत-ख एवं ग

प्रारूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाधात प्रबंध योजना**निम्नलिखित पर समाधातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय****ग्राम-इटावा, प. ह. नं. 51**

1	प्रभावित परिवारों की जीविका	कृषि (अप्रभावित होने से निरंक)
2	लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां	पत्रक संलग्न हैं
3	आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन।	निरंक
4	जल-मल निकासी एवं स्वच्छता	निरंक
5	पेयजल के स्रोत	निरंक
6	पशुओं के लिये जलस्रोत	निरंक
7	सामुदायिक तालाब	निरंक
8	जन सुविधाएं (जैसे-पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत् आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान, कब्रिस्तान एवं शमशान)।	निरंक
9	वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा।	जल निकास हेतु उचित व्यवस्था
10	अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाधात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा।	अपेक्षक निकाय सहमत हैं।

प्रारूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी रेल लाईन
2	लोक प्रयोजन	आमजन के सुगम आवागमन हेतु मालखेड़ी से महादेवखेड़ी रेलवे लाईन के एवज में रेलवे लाईन का निर्माण।
3	स्थल	मौजा इटावा, प.ह.न.-51 में खसरा नंबर 144/1/1, 147/3, 147/4, 176/1/ 1, 176/1/2, 176/3/1, 435/1/1, 435/1/3/1, 435/2/1, 436/1/1, 436/1/2, 437/1/1, 438/3, 438/4, 448/1, 449/1/1, 449/2, 450/1/1, 127/1, 127/2, 127/3, 130/1/1, 1312/1/1, 131/1/2, 131/1/3, 132/3/1, 132/3/2, 147/1/1, 147/5 में से कुल रकबा 3.094 है।
4	परियोजना का क्षेत्र	3.094 है।
5	विकल्प जिन पर विचार किया गया	प्रभावित भूमि के अतिरिक्त बड़ी तीसरी रेलवे निर्माण हेतु अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।
6	विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित	मुख्य परियोजना अभियंता निर्माण-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा।

7	परियोजना निर्माण के चरण	भूमि अधिग्रहित की जाकर, समतलीय उपरांत योजनाबद्ध तरीके से तीसरी लाईन बिछानी हैं। जल निकासी हेतु उचित प्रबंध किया जावेगा।
8	परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे।	संलग्न हैं।
9	परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि	3.094 हे.
10	भूमि का मूल्य	वर्ष 2020-21 की गाईड-लाईन के अनुसार
11	प्रभावित परिवारों/कुटुम्ब की संख्या	14
12	परिसंपत्तियाँ	पत्रक संलग्न हैं।
13	विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या।	निरंक
14	सामाजिक समाधात	निरंक
15	विकल्प जिन पर विचार किया गया	निरंक
16	निष्कर्ष	प्रस्तावित भूमि पर मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण से कोई भी परिवार/व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित नहीं होगा तथा आमजन को आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। भूमि अर्जन से प्रभावित भू-धारक की जीविका अर्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है।

सागर, दिनांक 1 सितम्बर 2021

प्र. क्र. 101-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-8534.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा को मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई तीसरी बड़ी लाईन योजनानंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रकरण में सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेंगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाधातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम देहरी में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:—

- (1) परियोजना का नाम— मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण—
- (1) जिला— सागर
- (2) तहसील— बीना
- (3) ग्राम— देहरी

(4) प. ह. नं.—

35

(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

0.010 हे.

अनुसूची-1

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कोमलसिंह पिता खूबसिंह साकिन देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	769	0.990	0.010	कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा सीनियर सेवक इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा सीनियर सेवक इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना में) में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 102-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-8536.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा को बीना से कोटा (282.66 कि.मी.) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रकरण में सामाजिक समाधार निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेंगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाधारों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम आगासौद में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:—

(1) परियोजना का नाम—

बीना से कोटा (282.66 कि.मी.) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण—

(1) जिला—	सागर
(2) तहसील—	बीना
(3) ग्राम—	आगासौद
(4) प. ह. नं.—	34
(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	1.473 हे.

अनुसूची-1

सं. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टे. में)	अर्जित भूमि रकबा (हे.मे.)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कलेक्टर सिंह पिता बाबूसिंह साकिन बिलाखना	भूमिस्वामी	399	1.660	0.078	कृषि भूमि
2	छोटेलाल गुलाबचंद पिता शिखरचंद जैन साकिन देह भूमिस्वामी।	भूमिस्वामी	402	0.860	0.072	कृषि भूमि
3	रामरतन राजाराम सीताराम पिता देवी साकिन देह।	भूमिस्वामी	404/1	0.190	0.036	कृषि भूमि
4	रामगोपाल पिता दीनदयाल साकिन देह भूमिस्वामी।	भूमिस्वामी	405	2.630	0.274	कृषि भूमि
5	तुलाराम पिता गुपाल साकिन देह भूमिस्वामी।	भूमिस्वामी	406/1	0.790	0.082	कृषि भूमि
6	भैयालाल पिता गुपाल साकिन देह भूमिस्वामी।	भूमिस्वामी	406/2	1.190	0.132	कृषि भूमि
7	जमनाप्रसाद पिता गुपाल साकिन देह भूमिस्वामी।	भूमिस्वामी	406/3	1.190	0.160	कृषि भूमि
8	रामसेवक पिता स्व. बाबूलाल नामदेवह साकिन बरोदिया नोनगर भूमिस्वामी।	भूमिस्वामी	406/4	1.190	0.312	कृषि भूमि
9	रेखा पति विजय नामदेव साकिन देह भूमिस्वामी।	भूमिस्वामी	406/5	0.400	0.038	कृषि भूमि
10	मूलचंद पिता हरीराम साकिन लहटवास भूमिस्वामी।	भूमिस्वामी	406/1317	1.210	0.126	कृषि भूमि
योग . . 11				11.860	1.473	कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा सीनियर सेवक इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा सीनियर सेवक इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) में आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 105-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-8533.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा को मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई तीसरी बड़ी लाईन योजनानंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रकरण में सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेंगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाधातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम कलरावनी में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:—

(1) परियोजना का नाम—

मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण—

(1) जिला—	सागर
(2) तहसील—	बीना
(3) ग्राम—	कलरावनी
(4) प. ह. नं.—	42
(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	0.346 हे.

अनुसूची-1

सं. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टेर में)	अर्जित भूमि (हे.में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	प्रभुदयाल पिता दीनानाथ साकिन देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	89	8.050	0.346	कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीना प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीना समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसों अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 50-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-8529.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख्य अभियंता निर्माण-II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल को बीना-कटनी तीसरी रेल लाइन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। रेल मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम गिरवर में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी रेल मार्ग निर्माण से क्षेत्र में आवागमन के साथनों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा क्षेत्र का व्यापारिक विकास भी होगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नति एवं विकास होगा। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:—

(1) परियोजना का नाम—

बीना कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.)

(2) भूमि का विवरण—

(1) जिला— सागर

(2) तहसील— सागर

(3) ग्राम— गिरवर

(4)	प. ह. नं.—	102
(5)	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	2.048 हे.

अनुसूची-1

क्र. स.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित भूमि रकबा (हे.मे.)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गंगाराम पिता मुरलीधर पता सा. देह	भूमिस्वामी	269	1.100	2.048	कृषि भूमि
2	मुरलीधर पिता रामदीन पता सा. देह	भूमिस्वामी	274	0.600		कृषि भूमि
3	प्रकाश प्रीतम पिता गोरेलाल पता सा. देह	भूमिस्वामी	275	0.020		कृषि भूमि
4	बालकदास मोहनलाल, राजकुमार बालिंग मुकेश नाबालिक पिता धनिराम सा. देह.	भूमिस्वामी	276	0.400		कृषि भूमि
5	मुन्ना हल्ले राजू मुकेश पिता धनिराम शांतिबाई निब्बोबाई काशीबाई पुत्री धनीराम गुलाबरानी वेवा धनीराम पता सा.देह.	भूमिस्वामी	277	1.000		कृषि भूमि
6	रामसजीवन पिता बालकिशन, पता सा. देह.	भूमिस्वामी	278	0.870		कृषि भूमि
7	क्रांतिबाई पुत्री परमलाल पता सा. देह	भूमिस्वामी	282	1.140		कृषि भूमि
योग . . 7				5.32	2.048	कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सागर तथा सहायक कार्यकारी अभियंता पश्चिम मध्य रेल भोपाल प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सागर तथा सहायक कार्यकारी अभियंता पश्चिम मध्य रेल भोपाल समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-II पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 14-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-8530.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख्य अभियंता निर्माण-II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल को बीना-कटनी तीसरी रेल लाइन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। रेल मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम रंगोली में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी रेल मार्ग निर्माण से क्षेत्र में आवागमन के साधनों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा क्षेत्र का व्यापारिक विकास भी होगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नति एवं विकास होगा। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:—

- (1) परियोजना का नाम— बीना कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.)
 (2) भूमि का विवरण—

(1)	जिला—	सागर
(2)	तहसील—	सागर
(3)	ग्राम—	रंगोली
(4)	प. ह. नं.—	104
(5)	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	5.963 हे.

अनुसूची-1

सं. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टेर में)	अर्जित भूमि रकबा (हे.में.)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	परसराम रामेश्वर पिता कालूराम सा. देह	भूमिस्वामी	74/1	0.360		कृषि भूमि
2	राधारानी बेवा टीकाराम सा. देह	भूमिस्वामी	99	0.740		कृषि भूमि
3	रामकली बेवा रेवाराम मुलू तुलसी नन्हेभाई हरप्रसाद सोतम कमलाबाई पिता निरभेसींग राजू अनू लक्ष्मी पिता रेवाराम जगरानी पति निरभेसींग सा. देह.	भूमिस्वामी	98	0.670		कृषि भूमि
4	विरनलाल पिता कालूराम सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	58	1.610		कृषि भूमि
5	दयाराम पिता बृजलाल सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	59/1	0.730	5.963	कृषि भूमि कृषि भूमि
6	ममता पति राजू लोधी सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	360	0.580		कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	303/2	0.400		कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	250	0.380		कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	251	0.850		कृषि भूमि
7	परवी बाई पुत्री कल्लूसिंह सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	361	0.2300		कृषि भूमि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	फूलबाई वेवा बब्बू सुबल कनई उमराव गोठल जहल्कई पिता बब्बू सोनाबाई पुत्री बब्बू गणेश जमना मुना पिता हरीसंग टुँडीबाई पुत्री हरीसंग सोमतीबाई वेवा मुलुवा सुनिया वेवा रमला गुपाल उमराव पिता रमला सियाबाई शांतिबाई भागबाई द्रेपतीबाई चिरौजाबाई पुत्री रमला.	भूमिस्वामी	362/1	0.020		कृषि भूमि
9	ज्योति पति प्रकाशचन्द्र अरोरा निवासी जिला भूमिस्वामी सागर.	भूमिस्वामी	305 306	0.190 0.650		कृषि भूमि कृषि भूमि
10	संतोष सिंह पिता मोहनलाल सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	304	0.020		कृषि भूमि
11	तुलसीराम पिता चेन सा. देह भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	303/1	0.930		कृषि भूमि
12	गोविन्द सिंह पिता नारायण सिंह सा. देह	भूमिस्वामी	309	0.510		कृषि भूमि
13	संतोष सिंह पिता मोहनलाल सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	302	0.350		कृषि भूमि
14	हीरालाल पिता कालूराम सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	317/1	0.720		कृषि भूमि
15	ओंकारसिंह पिता भूपेन्द्र सिंह पिता प्रतापसिंह रामरानी वेवा प्रतापसिंह सा.देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	253	0.820		कृषि भूमि
16	बालकिशन पिता परमलाल सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	252	2.400		कृषि भूमि
17	संतोष पिता हरिकिशन सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	247	2.720		कृषि भूमि
18	सुदामा पिता हरिकिशन सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	248	2.300		कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	105	1.210		कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	127	1.560		कृषि भूमि
19	गुलाबबाई पिता कदू सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	124/1	1.300		कृषि भूमि
20	गुलाबबाई वेवा कुद्दा खरगराम नन्हेभाई रामकिशन रामसेवक वीरन सोमनाथ बेनीबाई श्यामबाई छोटीबाई पिता कुद्दा साकिन देह.	भूमिस्वामी	123/1	0.110		कृषि भूमि
21	जसरथ पिता परमलाल सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	126/3	0.510		कृषि भूमि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	महेन्द्र पिता बाबूलाल सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	110/3	2.080	कृषि भूमि	
23	अनिल पुत्र छिमाधर निवासी सागर	भूमिस्वामी	103	1.210	कृषि भूमि	
24	सुहागरानी बेवा गुलब छतरसींग गंगाराम वल्द बबलू रामरती नाबालिंग पिता गुलाब वली माँ सुहागरानी बेवा गुलाब स्वामी.	भूमिस्वामी	104	1.560	कृषि भूमि	
25	गोरेलाल पिता हरिकिशन सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	106	1.210	कृषि भूमि	
26	दुलारी बेवा भइयालाल प्यारेलाल कन्छेदी वल्द भैयालाल सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	101	1.040	कृषि भूमि	
27	गणेश प्रसाद पिता परमलाल सा. देह भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	125	1.270	कृषि भूमि	
योग . .			33	30.66	5.963	कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सागर तथा सहायक कार्यकारी अभियंता पश्चिम मध्य रेल भोपाल प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा सहायक कार्यकारी अभियंता पश्चिम मध्य रेल भोपाल समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण-II पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 13-अ-82-2020-21-भू-अर्जन-2021-8531.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख्य अभियंता निर्माण-II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल को बीना-कटनी तीसरी रेल लाइन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। रेल मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम लिधौराखुर्द में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी रेल मार्ग निर्माण से क्षेत्र में आवागमन के साधनों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा क्षेत्र का व्यापारिक विकास भी होगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नति एवं विकास होगा। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:—

(1) परियोजना का नाम—

बीना कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.)

(2) भूमि का विवरण—

(1)	जिला—	सागर
(2)	तहसील—	सागर
(3)	ग्राम—	लिधौराखुर्द
(4)	पट. ह. नं.—	97
(5)	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	2.329 हे.

अनुसूची-1

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टेर में)	अर्जित भूमि रकबा (हे.मे.)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ऋषिराज पिता विनोद पता निवासी ग्राम सदर सागर भूमिस्वामी।	भूमिस्वामी	149/1	0.670	2.329	कृषि भूमि
2	केतन पिता विनोद पता निवासी ग्राम सदर सागर भूमिस्वामी।	भूमिस्वामी	149/2	0.200		कृषि भूमि
3	दीपेश नाबालिंग पिता पप्पू वली आजा प्रतापसिंह लोधी पता ग्राम निवासी रगोली।	भूमिस्वामी	149/3	0.040		कृषि भूमि
4	प्रतापसिंह लोधी पुत्र पूरनसिंह लोधी, देवेन्द्र पिता नेमीचंद जैन, बलदाऊ नाबालिंग पुत्र यशवंत लोधी पता सागर।	भूमिस्वामी	149/4	0.230		कृषि भूमि
5	शिलादेवी जोजे द्वारका प्रसाद पता सागर	भूमिस्वामी	150/1	0.620		कृषि भूमि
		भूमिस्वामी	153	1.100		कृषि भूमि
6	रज्जोबाई पति मौजीराम धानक पता देह	भूमिस्वामी	150/2	1.000		कृषि भूमि
7	कुसुमरानी पति रामगोपाल पता सा. देह	भूमिस्वामी	151	1.530		कृषि भूमि

योग . .

08

5.390

2.329

कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है उसके द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और के सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (रा.) सागर एवं उप मुख्य परियोजना अभियंता-II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं उप मुख्य अभियंता निर्माण-II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं उप मुख्य अभियंता-II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 12-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-8532.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख्य अभियंता निर्माण-II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल को बीना-कटनी तीसरी रेल लाइन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। रेल मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम पिपरिया करकट में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी रेल मार्ग निर्माण से क्षेत्र में आवागमन के साधनों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा क्षेत्र का व्यापारिक विकास भी होगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नति एवं विकास होगा। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:—

(1) परियोजना का नाम—

बीना-कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.)

(2) भूमि का विवरण—

- | | |
|-----------------|--------------|
| (1) जिला— | सागर |
| (2) तहसील— | सागर |
| (3) ग्राम— | पिपरिया करकट |
| (4) पट. ह. नं.— | 87 |

(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 2.082 हे.

अनुसूची-1

क्र. सं.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टेर में)	अर्जित भूमि रकबा (हे.मे.)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	शांतिबाई पत्नी गोपी पता केन्ट सागर	भूमिस्वामी	896	0.300		कृषि भूमि
2		भूमिस्वामी	897	0.15		कृषि भूमि
3	देवीप्रसाद प्रवीण कुमार रामकिशोर पिस. सोहनलाल गणेशबाई उर्फ कृष्णबाई	भूमिस्वामी	898	0.490		कृषि भूमि
4	बेवा सोहनलाल पता सा. देह.					
4	शांतिबाई पत्नी गोपी पता केन्ट सागर	भूमिस्वामी	899	0.200	2.082	कृषि भूमि
5	मन्दिर श्रीदेव जानकी जी बांके देह मु. केदारनाथ बैजनाथ सा देह प्रब. कले. महो. सागर.	भूमिस्वामी	900	0.540		कृषि भूमि
6	पुसु सोहन पिता कल्ला बेनीबाई बेवा कल्ला साकिन देह.	भूमिस्वामी	901	0.150		कृषि भूमि
7	श्रीमती रूपाली पत्नी राजेन्द्र नेमा श्रीमती रना पत्नी विमलेश सेन साकिन सागर.	भूमिस्वामी	902	0.250		कृषि भूमि
8	श्रीमती रूपाली पत्नी राजेन्द्र नेमा श्रीमती रना पत्नी विमलेश सेन साकिन सागर.	भूमिस्वामी	903	0.600		कृषि भूमि
9	पुसु सोहन पिता कल्ला बेनीबाई बेवा कल्ला.	भूमिस्वामी	904	0.400		कृषि भूमि
योग . .			9	3.08	2.082	कृषि भूमि

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और के सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सागर एवं उप मुख्य अधियंता निर्माण-II पश्चिम मध्य रेल भोपाल भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं उप मुख्य अभियंता निर्माण-II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपर्युक्त इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष [कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में] आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर एवं उप मुख्य अभियंता निर्माण-II पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 106-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-8535.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा को बीना से कोटा (282.66 कि.मी.) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन निर्माण योजनान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रकरण में सामाजिक सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेंगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाधातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम निबोदा में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:—

(1) परियोजना का नाम—

बीना से कोटा (282.66 कि.मी.) नई बड़ी दोहरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण—

- | | |
|------------------------------|-----------|
| (1) जिला— | सागर |
| (2) तहसील— | बीना |
| (3) ग्राम— | निबोदा |
| (4) पट. ह. नं.— | 42 |
| (5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 0.200 हे. |

अनुसूची-1

स. क्र.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रक्का (हेक्टेर में)	अर्जित भूमि रक्का (हे.मे.)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	हरप्रसाद पिता मुना साकिन आगासौद भूमिस्वामी।	भूमिस्वामी	57/1	1.300	0.200	कृषि भूमि
2	राजकुमार पिता नाथूराम उर्फ भगोना उर्फ भगवानदास निवासी ग्राम आगासौद भूमिस्वामी।	भूमिस्वामी	57/2	1.300		कृषि भूमि
योग . .			02	2.600	0.200	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को जो उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे बीना प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेलवे बीना समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपर्युक्त इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आशेष यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 104-अ-82-20-21-भू-अर्जन-2021-8537.—चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा को मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई तीसरी बड़ी लाईन योजनातार्गत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। प्रकरण में सामाजिक समाधात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार रेल मार्ग निर्माण से सुचारू आवागमन हो जावेंगे तथा रेल मार्ग निर्माण से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाधातों की तुलना में भी बहुत अधिक हैं। अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि तीसरी रेलवे लाईन निर्माण हेतु पूर्ण रूप से उपयुक्त है तथा प्रस्तावित भूमि के अर्जन से ग्राम मनउ में किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिए सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निमानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:—

(1) परियोजना का नाम— मालखेड़ी से महादेवखेड़ी नई बड़ी तीसरी लाईन निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण—

(1) जिला— सागर

(2) तहसील— बीना

(3) ग्राम— मनउ

(4) प. ह. नं.— 42

(5) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 0.598 हे.

अनुसूची-1

क्र. सं.	अभिलिखित भू-धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि रकबा (हे.में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कृष्णगोपाल प्रभूदयाल उमाशंकर आत्माराम बलराम उदयभान पिता दीनानाथ गीता माया पुत्री दीनानाथ प्रभाशंकर राकेश सुरेश पिता केदारनाथ विमला सावित्री किरन भुवनेश्वरी पुत्री केदारनाथ राधाबाई वेवा केदारनाथ साकिन कलरावनी.	भूमिस्वामी	134	2.240	0.370	कृषि भूमि
2	सुमरन पिता गणेश साकिन देहरी भूमिस्वामी.	भूमिस्वामी	135	2.890	0.228	कृषि भूमि
	योग . .		02	5.130	0.598	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बीना तथा सीनियर सेक्शन इंजीनियर पश्चिम मध्य रेल्वे बीना समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बीना तथा मुख्य परियोजना अभियंता-II रेल विकास निगम लिमिटेड कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 17 अगस्त 2021

क्र. 2062-भू-अर्जन-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 1 में दत्तनी बांध परियोजना बांध निर्माण अंतर्गत ग्राम ठिकरिया, तहसील कन्नौद, जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है—सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि दत्तनी बांध परियोजना बांध निर्माण अंतर्गत ग्राम ठिकरिया, तहसील कन्नौद, जिला देवास से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।— अतः सोशल इम्प्रेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची-1

ग्राम—ठिकरिया, तहसील—कन्नौद

क्र.	विवरण	अर्जित किये जाने वाले ग्राम आबादी स्थित कच्चा मकान का कुल एरिया		
		सिंचित	असिंचित	योग
1	दत्तनी बांध परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण	-	-	11.82 वर्गमीटर

अनुसूची-2

दत्तनी बांध परियोजना बांध निर्माण अंतर्गत ग्राम ठिकरिया, तहसील कन्नौद की प्रभावित ग्राम आबादी स्थित कच्चा मकान का विवरण

ग्राम—ठिकरिया, तहसील—कन्नौद

क्र. (1)	हितग्राही का नाम व पिता/पति का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	कच्चा मकान का कुल वर्गमीटर			अर्जित की जाने वाले ग्राम आबादी स्थित कच्चा मकान का कुल एरिया		
			सिंचित (4)	असिंचित (5)	कुल (6)	सिंचित (7)	असिंचित (8)	कुल (9)
			-	-	-	11.82	-	11.82
1	श्री सनोर पिता शंकर जाति कोरकू निवासी ग्राम ठिकरिया हा. मु. संदलपुर, तहसील खातेगांव.							

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 17 अगस्त 2021

प्र. क्र. 0005-अ-82-20-21.—भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अंतर्गत धारा-19 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कस्बा विदिशाम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क तक पहुंच मार्ग हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वेक्षणवार विवरण उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अंतर्गत धारा-19 (क्र. 3 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, जिसमें कि पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नहीं हो रहा है, निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु कस्बा विदिशा

स. क्र.	भूमिस्वामी का नाम/पिता या पति का नाम (ज्ञात/अभिलिखित/धारक)	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	क्रय के लिए प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	दयाशंकर पुत्र गोपीलाल दुबे (फौत) वारिसान अभिजीत उर्फ मनू पुत्र दयाशंकर, हर्षिता, वर्षा, प्रगति, इति, पुत्रियां दयाशंकर एवं विजयलक्ष्मी बेवा दयाशंकर दुबे।	23/1	0.062	0.049

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विदिशा/भू-अर्जन अधिकारी, विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पंकज जैन, कलेक्टर।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 23 अगस्त 2021

क्र. 455-भू-अर्जन-21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 6 फरवरी 2020 एवं 11 फरवरी 2020 को किया जा चुका है। वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा 19 के पश्चात् अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका है। क्योंकि रेलवे विभाग से प्रतिकर राशि रु. 300 करोड़ माँग किये जाने से समय पर प्राप्त न होने एवं दिनांक 31 जुलाई 2021 को कम राशि रुपये 60 करोड़ उपलब्ध कराया गया है। अतः समयावधि में प्रतिकर राशि उपलब्ध न होने के कारण 01 वर्ष की वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है। म. प्र. शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-15-(1)-2014-सात-शा-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायगा (म. प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 03-10-2014 पृष्ठ 2893 पर प्रकाशित) उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में एक वर्ष की वृद्धि की जाती है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्ववस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के परन्तुक अन्तर्ता इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त सीधी जिले की तहसील गोपद बनास, चुरहट/रामपुर नैकिन, बहरी एवं सिहावल की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढ़ायी जाती है :—

(1) भूमि का वर्णन.—

क्र.	ग्राम का नाम	निजी भूमि रकबा (क्षेत्रफल लगभग)	धारा-19 के जारी होने का दिनांक	धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक	धारा-19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
उपखण्ड गोपदबनास					
1	गाडा बबन सिंह	12.638	06-02-2020	05-02-2021	धारा-19 की उपधारा (4) की
2	गाडा लोलर सिंह	4.600	06-02-2020	05-02-2021	अधिसूचना में 01 वर्ष की
3	पड़ैनियाखुर्द	0.314	06-02-2020	05-02-2021	वृद्धि की जाती है।
4	विसैधाटोला	3.767	06-02-2020	05-02-2021	
उपखण्ड चुरहट/रामपुर नैकिन					
1	चंदैनिया	2.596	06-02-2020	05-02-2021	धारा-19 की उपधारा (4) की
2	मझियार	2.118	06-02-2020	05-02-2021	अधिसूचना में 01 वर्ष की
3	बघवार	6.767	06-02-2020	05-02-2021	वृद्धि की जाती है।
4	बड़खरा-739	2.636	06-02-2020	05-02-2021	
उपखण्ड सिहावल					
1	गजरही उन्मुक्त	18.760	06-02-2020	05-02-2021	धारा-19 की उपधारा (4) की
2	कुचवाही	4.434	11-02-2020	10-02-2021	अधिसूचना में 01 वर्ष की
3	मउ	2.677	06-02-2020	05-02-2021	वृद्धि की जाती है।
4	बेलहा	5.973	06-02-2020	05-02-2021	
5	खैरहा	2.939	06-02-2020	05-02-2021	
6	करौंदी	2.363	11-02-2020	10-02-2021	
7	कुबरी	12.650	11-02-2020	10-02-2021	
8	कुशियारी	5.456	06-02-2020	05-02-2021	
9	बहेरात 685	4.503	06-02-2020	05-02-2021	
10	मटिहनी	10.121	06-02-2020	05-02-2021	
11	देवरी	1.660	06-02-2020	05-02-2021	
12	केशवाही	4.028	11-02-2020	10-02-2021	
13	बहेरा	4.503	06-02-2020	05-02-2021	
14	पताई	3.194	11-02-2020	10-02-2021	
15	बहरी	2.396	06-02-2020	05-02-2021	

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु।

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन कार्यालय कलेक्टर सीधी एवं उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास/चुरहट/रामपुर नैकिन/सिहावल, जिला सीधी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 24 अगस्त 2021

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-आसन बेराज ठेह-8128/1.—[भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत]

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम-ठेह, प.ह.क्र. 121, रा.नि.वृत्त-तहसील-जौरा, उपखण्ड-जौरा, जिला-मुरैना में कुल 4.68 हे. अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-ठेह, प.ह.क्र. 121 राजस्व वृत्त-तहसील-जौरा, उपखण्ड-जौरा, जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

2. भूमि का वर्णन

- (क) जिला—मुरैना
- (ख) तहसील—जौरा
- (ग) ग्राम—ठेह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.30 हे.

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नानुसार हैः—

स.क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	21	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250	भीखा पुत्र लखपति जाति गृ.ठ. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
2.	22	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.290	भीखा पुत्र लखपति जाति गृ.ठ. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
3.	23	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.270	भीखा पुत्र लखपति जाति गृ.ठ. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
4.	24	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.580	भीखा पुत्र लखपति जाति गृ.ठ. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
5.	25	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.370	भीखा पुत्र लखपति जाति गृ.ठ. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
6.	26	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.380	भीखा पुत्र लखपति जाति गृ.ठ. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी
7.	30	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310	शिव सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति गृ.ठ. पता नि. चन्द्रपुरा भूमिस्वामी
8.	12	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.070	मु. हलुकी वेवा संतोष सिंह शिव सिंह वकील सिंह रविन्द्र सुरेश सिंह, बुलाखी सिंह, पुत्रान संतोष सिंह रमाबाई सरोजबाई, मुनीबाई पुत्रियां संतोष सिंह जाति गृ.ठ. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा समान भाग भूमिस्वामी.
9.	13	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	मु. हलुकी वेवा संतोष सिंह शिव सिंह वकील सिंह रविन्द्र सुरेश सिंह, बुलाखी सिंह, पुत्रान संतोष सिंह रमाबाई सरोजबाई, मुनीबाई पुत्रियां संतोष सिंह जाति गृ.ठ. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा समान भाग भूमिस्वामी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	16	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	मु. हलुकी वेवा संतोष सिंह शिव सिंह वकील सिंह रविन्द्र, सुरेश सिंह, बुलाखी सिंह, पुत्रान संतोष सिंह रमाबाई सरोजबाई, मुनीबाई पुत्रियां संतोष सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा समान भाग भूमिस्वामी.
11.	17	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310	शिव सिंह पुत्र संतोष सिंह जाति गू. ठा. पता नि. चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.
12.	147	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.080	कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
13.	148	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
14.	150	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.160	मु. मथुरा वेवा अतर सिंह सिंघराम जबर सिंह पपू बच्चू मुकेश पुत्रान अतर सिंह गीता चिरोंजी पुत्रियां अतर सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.
15.	151	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.210	कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
16.	152	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	कोक सिंह पुत्र सबदलसिंह 1/2 भीखा पुत्र लखपति 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
17.	158	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.510	मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर 1/2 समान विद्याराम पुत्र रामरतन 1/2 जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भू-दान कृषक.
18.	159	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.200	मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर 1/2 समान विद्याराम पुत्र रामरतन 1/2 जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भू-दान कृषक.
19.	161	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.670	मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर 1/2 समान विद्याराम पुत्र रामरतन 1/2 जाति ब्राह्मण पता नि. ग्राम भू-दान कृषक.
20.	163	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	बाबूसिंह, रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह, पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह, रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.
21.	165	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.640	बाबूसिंह, रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह, पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह, रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	167	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.050	बाबूसिंह, रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह, पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह, रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.
23.	168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.210	बाबूसिंह, रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह, पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह, रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.
24.	173	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.310	बाबूसिंह, रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह, पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह, रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2 जाति गूजर पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.
25.	169	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.590	हरिरासिंह, बाबूलाल पुत्र सुधई सीताशी बा. गुड्डी नाबा. पुत्रियाँ सुधई सर. प. माँ काशी खुद मं. काशी वेवा सुधई समान भाग 1/4 कोशा वेवा लखुआ हि. 1/2 उग्रसेन पुत्र भीखा बुन्देश नाबा. पुत्री भीखा सर. प. माँ काशी खुद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मु. काशी वेवा भीखा स.भा. 1/2 दर भाग 3/4 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
26.	170	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.090	बाबूसिंह, रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह, पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह, रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2 जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.
27.	172	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.300	बाबूसिंह, रामसिंह, परिमाल सिंह, भूरा सिंह, जण्डेल सिंह, पि. हलुके सिंह 1/2 बालेसिंह, रघुनाथ सिंह, पि. रतन सिंह 1/2 जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम चन्द्रपुरा भूमिस्वामी.

कुल किता 27 8.30 हे.

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्प्रक जांच के पश्चात् की गयी है।
- नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्कता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 (Urgency Clause) के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 03-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-आसन बैराज-चन्द्रपुरा-8128/2.—भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत].

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बैराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम-चन्द्रपुरा, प.ह.क्र. 122, रा.नि.वृत्त-तहसील-जौरा, उपखण्ड-जौरा, जिला-मुरैना में कुल 4.68 है. अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-चन्द्रपुरा, प.ह.क्र. 122 राजस्व वृत्त-तहसील-जौरा, उपखण्ड-जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

2. भूमि का वर्णन

- (क) जिला—मुरैना
- (ख) तहसील—जौरा
- (ग) ग्राम—चन्द्रपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.68 हेक्टर.

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नानुसार है:—

स.क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	439	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.03	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
2	442	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.23	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम म. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.
3	443	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.17	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
4	445	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.39	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम म. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.
5	447	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.24	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम म. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	448	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.16	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
7	449	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.12	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
8	454	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.32	बाबूसिंह पुत्र पंछी सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम मजरा पंचमपुरा.
9	447/772	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.27	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.
10	496/773	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.18	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.
11	448/774	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.23	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.
12	454/775	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.11	अशोक रामवीर, महावीर पुत्रगण मचल सिंह गिरजा शीला मंजेश पुत्रियाँ मचल सिंह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी मु. नारायणी बेवा मचल सिंह जाति गू. ठा. पता नि. ग्राम मं. पंचमपुरा समान भाग भूमिस्वामी.
13	474	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.17	रघुवीर पुत्र रामजीलाल जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
14	475	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.34	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
15	476	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.38	मुरारीलाल पुत्र श्रीधर कमला पुत्री श्रीधर जाति ब्रा. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
16	477	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.40	पूरन सिंह पुत्र कदम सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम मजरा पंचमपुरा भूमिस्वामी.
17	495	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.16	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	496/776	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.01	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
19	497	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.30	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
20	493	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.47	छविराम खूब सिंह पुत्रान पंचम सिंह वासुदेव पुत्र गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.

कुल किता 20

4.68 हे.

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है।
- नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिए भू-अर्जन की अत्यावशकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अंधिनियम की धारा 40 (Urgency Clause) के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-आसन बैराज-सिंधौरा-8128/3.—भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत]।

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम-सिंधौरा, प.ह. क्र. 122, रा.नि.वृत्त-तहसील-जौरा, उपखण्ड-जौरा, जिला-मुरैना में कुल 28.715 हे. अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-सिंधौरा, प.ह.क्र. 122 राजस्व वृत्त-तहसील-जौरा, उपखण्ड-जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

2. भूमि का वर्णन

(क) जिला—मुरैना

(ख) तहसील—जौरा

(ग) ग्राम—सिंघौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल— 28.715 हे.

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार हैः—

स.क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अधिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	32/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	वीरेन्द्र राजेन्द्र महेश मुकेश बंटी पुत्र प्रीतम सिंह कु. कलावती बेवा प्रीतम सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
2	32/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	सोबरन पुत्र गणेशा जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
3	32/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	लाखन पुत्र रामरतन जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
4	32/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	पहलवान पुत्र गणेशा जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.
5	32/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	बतसिया मुन्नी पुत्रियाँ गणेशराम समान भाग जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
6	32/6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.167	राजेश रामराज ऐंदल सिंह पि. बाबू सिंह स. भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
7	32/7	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094	मुन्शी सिंह गब्बर सिंह पुत्र हाकिम सिंह स. भा. जाति गू. ठा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
8	34/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.418	काशीराम पिता चतुरसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
9	34/2/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.418	निहाल सिंह चतुरसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
10	34 min 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.261	राजेन्द्र सिंह पुत्र सियाराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
11	34 min 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.523	सुरेश रामबीर मलखान भागीरथ पि. जगन्नाथ समान भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
12	34 min 6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.303	हरिसिंह पुत्र कसान सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13	99	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	पहलवान सिंह पुत्र रतीराम भाग 1/2 बादाम पुत्र हाकिम सिंह भाग 12/15 गिराज सिंह पुत्र हरगोविन्द भाग 3/15 दर भाग 1/4 प्रेमाबाई पल्ली लोटन सिंह भाग 1/4 जाति गृ. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
14	100	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.606	पहलवान सिंह पुत्र रतीराम भाग 1/2 बादाम पुत्र हाकिम सिंह भाग 12/15 गिराज सिंह पुत्र हरगोविन्द भाग 3/15 दर भाग 1/4 प्रेमाबाई पल्ली लोटन सिंह भाग 1/4 जाति गृ. ठा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
15	101	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.460	अतरसिंह पि. कुंअरपाल उर्फ हलुके रामकेशी लाली पि. कुंअरपाल उर्फ हलुके समान भाग जाति गृ. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
16	102 min 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.188	रोशन सिंह पुत्र रामरतन जाति गृ. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
17	102 min 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.188	पंजाब सिंह दयाराम जगदीश दशरथ पि. प्रभूसिंह शीला पप्पो पि. प्रभूसिंह जाति गृ. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
18	103/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.178	रोशन सिंह पुत्र रामरतन जाति गृ. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
19	103/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.178	भूरा सिंह पुत्र रामरतन जाति गृ. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
20	105	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.251	कलयान सिंह लोकेन्द्र सिंह रामबीर पि. शत्रुघ्न सिंह मुनी गुड़डी पि. शत्रुघ्न सिंह समान भाग जाति गृ. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
21	106	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.272	पंजाब सिंह दयाराम जगदीश दशरथ पि. प्रभूसिंह शीला पप्पो पि. प्रभूसिंह जाति गृ. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
22	107	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.303	अजब सिंह अतिबल सिंह पुत्रान सरनामसिंह भाग समान जाति गुर्जर ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
23	108	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.303	गिराज पुत्र हरगोविन्द जाति गृ. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
24	109	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.293	कलयान सिंह लोकेन्द्र सिंह रामबीर पि. शत्रुघ्न सिंह मुनी गुड़डी पि. शत्रुघ्न सिंह समान भाग जाति गृ. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	110	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.251	रामबेटी पल्ली रमेश सिंह जाति गू. ठा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
26	111 min 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.178	भूरा सिंह पुत्र रामरतन जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
27	111 min 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	भूरा सिंह पुत्र रामरतन जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
28	112	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125	भूरा सिंह पुत्र रामरतन जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
29	113	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.449	उम्मेद सिंह सियाराम पुत्रान छोटे सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
30	125	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.345	लायक सिंह आशाराम पुत्र भगवान सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम संभाग भाग भूमिस्वामी.
31	128/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.199	उम्मेद सिंह सियाराम पुत्रान छोटे सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
32	128/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.637	सूबेदार सिंह पुत्र रामचरन विजेन्द्र सिंह पुत्र फेरन सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी.
33	129/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.508	रामअख्त्यार सुरेश दिलीप पुत्रान रघुवर बादामी बेवा रघुवर समान भाग जाति गुर्जर पता सिंघौरा जौरा मुरैना मध्यप्रदेश स. भा. 1/21 केशव गब्बर पुत्रान कप्तान सिंह लीलावती समवती रामवती पुत्री कप्तान सिंह समान भाग जाति गुर्जर पता सिंघौरा जौरा मुरैना मध्यप्रदेश स. भा. 1/21 जण्डेल सिंह बाबू सिंह पुत्रान भगवान सिंह शान्ती अंगूरी पुत्री भगवान सिंह समान भाग जाति गुर्जर पता सिंघौरा जौरा मुरैना मध्यप्रदेश स. भा. 4/21 मुरारी रामहरी पिता नबाब सिंह समान भाग जाति गुर्जर पता सिंघौरा जौरा मुरैना मध्यप्रदेश स. भा. 1/21 मातादीन रामू पुत्रान ग्यासिया हलुकी कलिया मुन्नी पुत्री ग्यासिया समान भाग जाति गुर्जर पता सिंघौरा जौरा मुरैना मध्यप्रदेश स. भा. 1/3 मनीराम पुत्र बद्री सिंह शीला द्वारिका सोनो भूरी पुत्री बद्री सिंह समान भाग जाति गुर्जर पता सिंघौरा जौरा मुरैना मध्यप्रदेश स. भा. 1/3.
34	129/2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.097	भूरासिंह सन्तोशी रामभजन पुत्रान विशाल सिंह मीरा गुड़डी पुत्रियाँ विशाल सिंह मु. बैजन्ती बेवा विशाल सिंह स. भा. 6/35 राजवीर बा. सन्जू सिंह नाबा. पुत्रान हमीर सिंह सीमा कल्लो मल्लो नाबा पुत्रियाँ हमीर सिंह सरप माँ खुद मु. सुनीता बेवा हमीर सिंह स. भा. 1/10 बाबू सिंह जगमनि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					सिंह रोशन सिंह भूग सिंह उमेश सिंह पुत्र रामरतन सिंह मुन्नी पुत्री रामरतन मु. रामपारी बेवा रामरतन सिंह स. भा. 1/5 सरदार सिंह पुत्र शंकर सिंह भाग 1/5 भूमिस्वामी जगन्नाथ संतोशी पुत्र भीमा राजाबेटी बैकुण्ठी रामबेटी कलावती भागवती गुडडी पुत्रियाँ भीमा स. भा. 8/45 रामखिलाड़ी वीरेन्द्र नाबा पुत्र पंजाब सिंह वीकेश गुडडी नाबा पुत्रियाँ पंजाब सिंह नाबा. सर. मु. रामवती बेवा पंजाब सिंह स. भा. 1/45 कल्ली उर्फ भवूती गोलू आशीष नाबा. पुत्रान साहब सिंह विमलेष, प्रीती मीना बा अन्जु सपना नाबा. पुत्रियाँ साहब सिंह सरप माँ खुद मीरा बेवा साहब सिंह स. भा. 1/20 रामहेत लायक सिंह पुत्र भोगीराम मु. चिरोजी बेवा भोगीराम स. भा. 3/20 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
35	131	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.449	अंगूरी पत्नी औतार भाग 13/69 मुन्शी गब्बर पुत्र हाकिम सिंह भाग 27/69 दीवान गब्बर कोकसिंह सुल्तान पि. हाकिम सिंह 1 भाग 29/69 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
36	133	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219	भूरासिंह सन्तोशी रामभजन पुत्रान विशाल सिंह मीरा गुडडी पुत्रियाँ विशाल सिंह मु. बैजन्ती बेवा विशाल सिंह स. भा. 6/7 बा. राजवीर, धीरजसिंह बा. सन्जू सिंह नाबा. पुत्रान हमीर सिंह सीमा कल्लो मल्लो नाबा पुत्रियाँ हमीर सिंह सरप माँ खुद मु. सुनीता बेवा हमीर सिंह संभाग 1/7 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
37	134	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.272	बृजराज सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
38	135	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.606	प्रकाश पुत्र भगवान सिंह हि. 1/2 दीवान सिंह गब्बर सिंह कोकसिंह सुल्तान सिंह पुत्रगण हाकिम सिंह संभाग 1/2 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
39	138/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.282	बाबूसिंह पुत्र रामरतन सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
40	138/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.282	संतोशी रामभजन पिता विशाल सिंह संभाग 2/3 राजवीर बा. धीरज संजू सिंह नाबा. पुत्र हमीर सिंह सीमा कल्लो मल्लो नाबा. पुत्री हमीर सिंह सर. माँ खुद मु. सुनीता बेवा हमीर सिंह संभाग 1/3 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
41	139	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.272	अन्नूरी पत्नी औतार भाग 13/69 मुन्शी गब्बर पुत्र हाकिम सिंह भाग 27/69 दीवान गब्बर कोकसिंह सुल्तान पि. हाकिम सिंह भाग 29/69 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
42	149 min 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	जगदीश वकील बादाम पि. लज्जाराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
43	149 min 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	रामजीलाल पुत्र पंछी जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
44	149 min 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.941	रामधार सिंह पुत्र पंछी जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
45	150 min 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.627	पहलवान सिंह पुत्र रतीराम सिंह, जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
46	150 min 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.752	रणवीर सिंह पुत्र सोनेराम, जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
47	150 min 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146	राजेन्द्र सिंह पुत्र उम्मेद सिंह, जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
48	150 min 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.285	रामवरन सोनेराम रामसहाय रामलखन पि. देवी सिंह, जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
49	177 min 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	हरीसिंह पुत्र सोबरन सिंह जाति गूजर ठाकुर, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
50	292 min 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	हरीसिंह पुत्र सोबरन सिंह जाति गूजर ठाकुर, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
51	292 min 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.656	हाकिम सिंह पि शंकर सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
52	292 min 5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	दिलीप सिंह बा. शैलू सिंह नाबा. पुत्र बदन सिंह कोमेश बा. मल्लाह नाबा. पुत्रियाँ बदन सिंह नाबा. सर. माँ खूद मुं बोहता वेवा बदन सिंह स. भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
53	292 min 1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.835	गम्भीर सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
54	330 min 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	बत्र सिंह पुत्र रतीराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
55	330 min 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	लोटन सिंह पुत्र रतीराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
56	330 min 5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	हाकिम सिंह पि हरगोविन्द सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57	330 min 7	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	गिराज पुत्र हरगोविन्द जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
58	336 min 1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.627	वीरेन्द्र पुत्र रघुवर जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
59	336 min 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	केदार सिंह पुत्र ररतीराम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
60	336 min 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314	लायक सिंह आशाराम पुत्र भगवान सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम संभाग भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
61	336 min 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314	मनीराम सिंह पुत्र रघुवर सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
62	336 min 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	रामबीर धर्मसिंह पिता मनीराम स. भा. जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
63	336 min 5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314	सुरेश रामबीर मलखान भागीरथ पि. जगन्नाथ समान भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
64	336 min 6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.627	हाकिम सिंह पि. हरगोविन्द जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
65	336 min 8	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.627	गिराज पुत्र हरगोविन्द जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
66	347/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314	संतोशी रामभजन पिता विशाल सिंह संभाग 3/8 राजबीर बा. धीरज संजू सिंह नाबा. पुत्र हमीर सिंह सीमा कल्लो मल्लो नाबा. पुत्री हमीर सिंह सर. माँ खुद मु. सुनीता वेवा हमीर सिंह संभाग 5/8 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
67	349	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	राजेश रामराज ऐंदल सिंह पि. बाबू सिंह स. भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
68	350	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.700	राजेश रामराज ऐंदल सिंह पि. बाबू सिंह स. भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
69	351	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	राजेश रामराज ऐंदल सिंह पि. बाबू सिंह स. भाग जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
70	352	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	जनकसिंह पुत्र होतमसिंह भाग 22/71 जाति कुशवाह वीरेन्द्र राजेन्द्र महेश मुकेश योगेन्द्र पुत्र प्रीतम कोमेश पुत्री प्रीतम मु. कलावती वेवा प्रीतम संभाग 1/2 जाति गू. ठा. पता निवासी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					ग्राम भूमिस्वामी पातीराम पुत्र चंदन सिंह अमलेश वीएस इंगिलश कमलेश नाबा पुत्री चंदन सिंह सर. मु. राजाबेटी वेवा चंदन सिंह संभाग 1/2 दर भाग 25/71 काशीराम लखपति भीकम पुत्र करन सिंह संभाग 20/71 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी लखपति पुत्र करन सिंह भाग 4/71 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
71	353/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	भीखम सिंह पुत्र करन सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
72	353/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	जनकसिंह पुत्र होतमसिंह जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.
73	357/5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	पातीराम पुत्र चंदन सिंह 7/8 अमरेश वीएस इंगिलश कमलेश नाबा पुत्री चंदन सिंह स. माँ खुद मु. राजाबेटी वेवा चंदन सिंह संभाग 1/8 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
74	358/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	जहार सिंह पुत्र भगवानलाल भा 48/110 रामस्वरूप मनीराम पुत्रान भगवानलाल लौगसिरी पुत्री भगवानलाल स. भा 25/110 परसादी पुत्र भगवानलाल भाग 37/110 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.
75	358/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	राजाराम पुत्र झन्डू जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.
76	360/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	जहार सिंह पुत्र भगवानलाल भा 48/110 रामस्वरूप मनीराम पुत्रान भगवानलाल लौगसिरी पुत्री भगवानलाल स. भा. 25/110 परसादी पुत्र भगवानलाल भाग 37/110 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.
77	360/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	राजाराम पुत्र झन्डू जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.
78	360/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	सुरेश वीरेन्द्र पुत्रान शुक्लू स. भा 42/93 शीला कलिया पुत्रियाँ शुक्लू सावित्री वेवा शुक्लू स. भा 51/93 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दपुरा भूमिस्वामी.
79	360/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	दामोदर महेन्द्र पुत्रान रामसिंह समान भाग 28/57 श्रीनिवास पुत्र रामसिंह फूलवती वेवा रामसिंह कस्तूरी सन्तो गीता सिया पुत्रिया रामसिंह समान भाग 10/57 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी फूलसिंह रामओतार श्रीराम पुत्रान छोटे समान भाग 13/57 होरीलाल पुत्र गंगाप्रसाद शीला पुत्री गंगाप्रसाद समान भाग 3/57 कैदार पुत्र छिदृदा भाग 3/57 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिन्दुरा भूमिस्वामी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
80	365/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.18	जहारसिंह रामस्वरूप मनीराम परसादी पि भगवानलाल लोंगत्री पि. भगवानलाल 1/2 राजाराम पि. झण्डू 1/2 दर भाग 1/4 फूलवती वेवा रामसिंह दामोदर श्रीनिवास महेन्द्र पुत्र रामसिंह सन्तो सियावेटी कस्तूरी गीता पुत्रिया रामसिंह स. भा 1/3 धर्मपाल नरेश दशरथ पुत्र पंचमसिंह मालती पुत्री पंचम सिंह 1/3 उदयसिंह महेश पुत्र नबलू मीना केतुकी मिथलेश शकीला बा. केशकली नाबा. पुत्रिया नवलू सर. बैकुन्ठी माँ खुद बैकुन्ठी वेवा नबूलू स. भा. 1/3 भूमिस्वामीक दर भाग 1/4 दिलीप छोटेलाल बच्चू नाबा. पुत्र अमरसिंह भूमिस्वामी शारदा गिरजा नीरज नाबा. अमरसिंह नाबा सर मु. बसन्ती माँ खुद मु. ससन्ती वेवा अमर सिंह 1/3 लायक सिंह पि. मोहन सिंह रामकटोरी पुत्री मोहन सिंह स. भा. 2/3 दर भाग 1/4 सुरेश वीरेन्द्र पि. सुकलू सावित्री वेवा शुकलू स. भा. 1/4 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
81	369	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.263	रामस्वरूप पुत्र मानपाल जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम माताबाई का पुरा भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय.
82	424	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167	लल्जाराम पुत्र हुकमसिंह भाग 369/742 राजूसिंह पुत्र लल्जाराम भाग 373/742 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी.
83	425	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	लल्जाराम पुत्र हुकमसिंह भाग 369/742 राजूसिंह पुत्र लल्जाराम भाग 373/742 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी.

कुल किता 83 28.715 हे.

- यह कि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है।
- नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 (Urgency Clause) के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मुरैना, दिनांक 26 अगस्त 2021

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2020-21-आसन बैराज-लोहाबसई-8263.—भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बैराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम-लोहाबसई, प.ह. क्र. 119, रा.नि.वृत्त-तहसील-जौरा, उपखण्ड-जौरा, जिला-मुरैना में कुल 9.446 है. अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-लोहाबसई, प.ह.क्र. 119 राजस्व वृत्त-तहसील-जौरा, उपखण्ड-जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

- (क) जिला—मुरैना
- (ख) तहसील—जौरा
- (ग) ग्राम—लोहाबसई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.446 हे.

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नानुसार हैः—

स.क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	18 min 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.366	रामवरन रामेश्वर पुत्रगण सुन्दरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय भू-राजस्व 2.00
2	32/1 min 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.418	बृजेश सिंह पुत्र कपान सिंह जाति गू ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.00
3	32/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.146	पुलन्दरसिंह पुत्र कपानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.50
4	162/1 44/2/4	भूमिस्वामी भूमिस्वामी	कृषि भूमि कृषि भूमि	0.01 0.063	इन्दरसिंह पुत्र हुकुमसिंह जाति गुर्जर नि. ग्राम घसटुआ
5	102/1/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.105	भरतसिंह पुत्र सबदलसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी-ग्राम घसटुआ.
6	102/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.099	रामवरन रामेश्वर पुत्रगण सुन्दरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमि स्वामी भू-राजस्व 2.06.
7	102/1/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	हरीसिंह पुत्र धनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	102/1/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.12	चिम्मन सिंह पुत्र धनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी.
9	102/1/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.11	मु. इमिरता वेवा अमरसिंह रामबरन सिंह रामवीर सिंह पुत्रान अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.12.
10	103/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125	मु. बादामी वेवा उत्तमसिंह जरदानसिंह भूरा सिंह पुत्रान उत्तमसिंह स. भाग 3/4 मंजेश वेवा जोगेन्द्र सिंह पंकज अंकित नाबा पुत्रान जोगेन्द्र सिंह सर. माँ खुद स. भाग 1/4 दर भाग 1/18 बिट्टोबाई वेवा मेहताब सिंह रामगोविन्द वीरसिंह पुत्रान मेहताब सिंह स.भाग 1/18 मु. मोतीराजा वेवा सुधरसिंह रामकुमार पूरनदवेन्द्र पुत्रान सुधरसिंह स.भाग 1/18 भूमिस्वामी राजाराम कल्याण सिंह उर्फ सियाराम लज्जाराम रामजीलाल पुत्रान सोनेराम मुनी पुत्री सोनेराम स. भाग 5/6 गुड्डी वेवा रामनरेश योगेश नीरज पुत्रान स. भाग 1/6 दर भाग 1/6 प्रेम सिंह गेंदालाल रामअख्यार सिंह लाखनसिंह पुत्रगण बुद्धसिंह स.भाग 1/6 रामबरन रामेश्वर पुत्रान सुन्दरसिंह स. भाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी भू-राजस्व 2.62
11	153/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	पालसिंह दीवानसिंह लायकसिंह पि. सुन्दरसिंह स. भाग जाति गुर्जर पता निवासी-ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी भू-राजस्व 3.22
12	153/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	नाथूराम पुत्र मनोहरसिंह जा. गू. ठा. पता निवासी ग्राम
13	153/1/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	हरीसिंह पुत्र होतमसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ.
14	166/1/1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.878	कलावती पत्नी इन्द्रसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.00.
15	166/1/1/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.993	काशीप्रसाद उदयवीरसिंह दीवानसिंह पु. शत्रुघनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.28
16	166/1/1/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.470	सरनामसिंह पु. पुरुषोत्तम जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.28.
17	166/1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.961	वासुदेव जण्डेल सिंह परिमाल सिंह पंजाब सिंह वकीलसिंह तहसीलदार सिंह बबूराजा योगेन्द्र सिंह पुत्रान केशव सिंह स. भा. 1/3 रनवीर सिंह ऑफीसर सिंह पुत्रान साहब सिंह स. भा. 2/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी भू-राजस्व बिलमुक्ता 14.00
	296/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	166/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.261	भरतसिंह रामलखन सिंह पुत्रान इन्द्रसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.62
19	166/1 min	भूमिस्वामी 1 क	कृषि भूमि	0.178	अशोक सिंह गिराज सिंह पुत्र सुजानसिंह जाति गू. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.34.
20	166/1 min	भूमिस्वामी 1 ग	कृषि भूमि	0.052	दीवानसिंह पुत्र शत्रुघ्नसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.32
21	176/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125	रामेश्वर सिंह राधेश्याम पुत्रान सुखदेव स. भाग 1/6 सुल्तान सिंह केदारसिंह पुत्रान गोकुल सिंह राजाबेटी पुत्री गोकुल सिंह राजाबेटी पुत्री गोकुल सिंह स. भा 3/6 जगदीश पुत्र परीक्षत भाग 1/6 मेहरबान सिंह सेवाराम पुलन्दर सिंह जितवार बलवानसिंह पुत्रान औतार सिंह शीला पुत्री औतार सिंह स. भाग 1/6 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी भू-राजस्व 1.45
22	619 621 622 623	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	कृषि भूमि कृषि भूमि कृषि भूमि कृषि भूमि	0.379 0.430 0.385 0.105	शिवेन्द्रसिंह जितेन्द्रसिंह रावराजा श्यामराजा पि. गजेन्द्र सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.12
23	663/1165 664/1166 665/1167 666/1168 667/1169 668/1170	भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी भूमिस्वामी	कृषि भूमि कृषि भूमि कृषि भूमि कृषि भूमि कृषि भूमि कृषि भूमि	0.063 0.063 0.523 0.209 0.261 1.014	रमेश महाराज सिंह मचल सिंह वासुदेव मातादीन पुत्रान लक्ष्मन सिंह अनेगा कमला पुत्रियाँ लक्ष्मनसिंह स. भ. 1/20 भागीरथ पुत्र सुन्दरसिंह भाग 1/20 रामविलास पुत्र जगन्नाथ प्रेमा गुड़ी पुत्रियान जगन्नाथ स. भाग 1/20 रामश्री जुगुरो पुत्रियान सुन्दर सिंह स. भा. 2/20 बाबू ममण्डे पप्पू पूरन पुत्रान श्यामा स. भा. 1/4 जाति गड़रिया पता निवासी ग्राम इटवाली का पुरा भूमिस्वामी बादशाह पत्नी अनुरुद्ध सिंह रामसखी पत्नी अशोक सिंह गुड़िया पत्नी बलवीरसिंह स. भा. 1/2 जाति गड़रिया पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी भू-राजस्व.

कुल किता -33

9.446 हे.

- यह कि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है।
- नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों, में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष : धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बैराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिए भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 (Urgency Clause) के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बी. कार्तिकेयन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 10 सितम्बर 2021

पत्र क्र. 418-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची में खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित शक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) रीवा	(2) जवा	(3) भनिगढ़ा	(4) 5180 मी.×15 मी.= 7.7700 हे.	(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि.भ/स संभाग क्र. 1, रीवा (म. प्र.).	(6) सतपेड़िया तालाब से घाहर मुसारा इदरहा पहुंच मार्ग लं. 5.18 किमी. का भू-अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि.भ/स संभाग क्र. 1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैया राजा टी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

अध्यात्म विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13/15 सितम्बर 2021

क्र. एफ-7-37-2001-अड़सठ.—भोपाल स्टेट सलकनपुर टेम्पल एकट, 1956 (क्रमांक 13 सन् 1956) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से श्री महेश उपाध्याय, बुदनी, जिला सीहोर को सलकनपुर मंदिर समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पा कुलेश, उपसचिव।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 18 अगस्त 2021

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-20-21-पत्र क्र. 241-भू-अर्जन-21।—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	आराजी नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
						(1)
सतना	रामपुर	बगहाई	967/5	0.110	उप मुख्य अभियंता	सतना-रीवा रेल लाईन
	बाघेलान	कोठार	899/2	0.045	(निर्माण) पश्चिम मध्य	दोहरीकरण परियोजना
			921/3/घ	0.011	रेलवे जबलपुर (म. प्र.).	निर्माण हेतु.
			913	0.064		
			960	0.035		
			कुल अर्जित रकबा	0.265		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय (भू-अर्जन शाखा) सतना में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-20-21-पत्र क्र. 242-भू-अर्जन-21।—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय

उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	आराजी नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	रामपुर बाघेलान	खारी	4/2 45/2	0.019 0.117	उप मुख्य अधियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना निर्माण हेतु.
कुल अर्जित रकबा . .				0.136		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय (भू-अर्जन शाखा) सतना में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-20-21-पत्र क्र. 243-भू-अर्जन-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	आराजी नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	रामपुर बाघेलान	मनकहरी	284/1 284/2	0.060 0.025	उप मुख्य अधियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना निर्माण हेतु.
कुल अर्जित रकबा . .				0.085		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय (भू-अर्जन शाखा) सतना में देखा जा सकता है।

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-20-21-पत्र क्र. 244-भू-अर्जन-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही

अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	आराजी नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	रामपुर बाघेलान	सतरी कोठार	93/1 101/1/क 1010/5/4/क 1010/5/5/ख 1010/5/5/क/1 1010/5/6/घ	0.013 0.004 0.001 0.003 0.003 0.001	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना निर्माण हेतु.
कुल अर्जित रकबा			..	0.025		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय (भू-अर्जन शाखा) सतना में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-20-21-पत्र क्र. 245-भू-अर्जन-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	आराजी नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	रामपुर बाघेलान	हिनौता पैपखार	211/2/ड 210/1/क/14 210/1/ख/3/क 210/1/ख/3/ख 210/1/ख/3/ग 210/1/ख/3/घ 208/2/घ/4 208/2/घ/5	0.004 0.004 0.010 0.016 0.016 0.008 0.006 0.005	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना निर्माण हेतु.
कुल अर्जित रकबा			..	0.069		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय (भू-अर्जन शाखा) सतना में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-20-21-पत्र क्र. 246-भू-अर्जन-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	आराजी नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	रामपुर बाघेलान.	बठिया	45/5/ख	0.008	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय (भू-अर्जन शाखा) सतना में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-20-21-पत्र क्र. 247-भू-अर्जन-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11(4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 12 के लिए	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	आराजी नम्बर	अर्जनीय रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सतना	रामपुर बाघेलान.	बम्हौरी	612/2/क 339/1/ख/5 339/1/ख/6	0.037 0.005 0.005	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर (म. प्र.).	सतना-रीवा रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना निर्माण हेतु।
		कुल अर्जित रकबा . .		0.047		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय (भू-अर्जन शाखा) सतना में देखा जा सकता है।

सतना, दिनांक 25 अगस्त 2021

पत्र क्र. 255-भू-अर्जन-2021.—उप मुख्य अधिकारी (निर्माण-II) पश्चिम मध्य रेलवे सतना द्वारा ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा-खजुराहो नई बड़ी रेलवे लाईन (541 कि.मी.) निर्माण हेतु निम्नलिखित ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे:—

ग्राम का नाम (1)	तहसील का नाम (2)	अर्जित रकमा (हे. में.) (3)
बगहा	रघुराजनगर	1.858
करही कोठार	रघुराजनगर	0.026
करही पवाई	रघुराजनगर	0.153
करही हरमल्ला	रघुराजनगर	1.407
खैरा	रघुराजनगर	0.622
गिदुरी	रघुराजनगर	0.370

उपरोक्त ग्रामों के भू-अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 का प्रकाशन 09-08-19 को किया गया था। इस प्रकार 09-08-2020 को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस अवधि के भीतर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रघुराजनगर जिला सतना, मध्यप्रदेश द्वारा अवधि विस्तारित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, अधिनियम की धारा 25 के प्रावधान अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 माह की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। 04 माह एवं 02 माह की अवधि पूर्व में बढ़ाई जा चुकी है, किन्तु उक्त अवधि में भी गठित दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलंब होने तथा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने के कारण समय-सीमा दिनांक 09-02-2021 तक नहीं किया जा सका। स्थल का युक्ति-युक्त सर्वेक्षण न हो पाने तथा कोविड-19 के लॉकडाउन होने के कारण अधिनिर्णय पारित नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, रघुराजनगर द्वारा पुनः 06 माह की अवधि विस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपरोक्त ग्रामों के अधिनिर्णय पारित किये जाने हेतु दिनांक 09-02-2021 से आगे 06 माह की अवधि विस्तारित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

खरगोन, दिनांक 24 जून 2021

क्र. 109-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—भीकनगांव
- (ग) ग्राम—पछाया
- (घ) अर्जनिय भूमि का क्षेत्रफल—4.245 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/2/2	0.200
2/4/1	0.150
2/7	0.045
2/8	0.145
2/15	0.105
9/1/1/1	0.040
9/1/1/2, 9/1/7	0.140
9/1/2	0.160
10/2/2	0.200
11/1/2	0.260
11/2	0.065
14/1	0.260
14/2	0.185
16/4	0.105
16/5	0.255
16/6	0.120
19/1	0.095
19/2	0.080
19/3	0.150
20/1/1	0.060
20/1/2	0.070
20/2/1	0.050
20/2/2	0.055

(1) (2)

20/3	0.095
23/2	0.040
24/1	0.290
24/2	0.210
64/1	0.170
161/3/2, 162	0.445

योग : 4.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—“सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु”.

(3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है, जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन चंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 108-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—भीकनगांव
- (ग) ग्राम—बोरगांव
- (घ) अर्जनिय भूमि का क्षेत्रफल—3.673 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
271/3/2	0.175
271/4/1	0.300
271/5	0.285
271/6	0.290
279/1	0.018
279/2/1	0.070

(1)	(2)	(1)	(2)
279/2/2	0.130	11/2/1	0.155
281/2/1/1	0.175	11/3/3	0.150
281/2/2/2	0.210	13	0.340
281/3	0.575	27/2	0.090
288/1	0.070	27/4	0.090
288/2	0.055	27/5	0.275
288/3/1	0.050	30/2	0.275
288/3/2	0.070	31/1	0.125
288/4	0.070	31/2	0.070
288/5	0.215	34/1/2	0.430
289/1/2	0.200	34/1/9	0.030
290/1	0.130	34/1/12	0.155
290/2	0.350	34/1/13	0.035
291/3/2	0.235	49/850	0.270
योग :	<u>3.673</u>	52/831	0.200
		54/2	0.300
		56/1/1	0.090
		66/1/1	0.100
		योग :	<u>3.630</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—“सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु”.
- (3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है, जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 107-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—भीकनगांव
- (ग) ग्राम—दौड़वा
- (घ) अर्जनिय भूमि का क्षेत्रफल—3.630 हेक्टेयर।

खसरा न.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
8/4	0.100
9	0.350

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—“सतसोई तालाब योजना के नहर कार्य निर्माण हेतु”.
- (3) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी कृषक का विस्थापन नहीं किया जाना है, जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, रा. एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुग्रहा पी., कलेक्टर एवं समुचित सरकार।

कार्यालय, आयुक्त, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 अगस्त 2021

पत्र क्र. 200-प्रवा.-भू-अर्जन-2021.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—रामनगर
- (ग) ग्राम—डांगा कमला
- (घ) क्षेत्रफल लगभग—0.312 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
150/2ख	0.312
योग . .	<u>0.312</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सुचारी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 23 अगस्त 2021

भू-अर्जन-प्र. क्र.-13-अ-82-20-21.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
- (ख) तहसील—पुनासा
- (ग) ग्राम—चांदेल
- (घ) अर्जित रकबा—0.74 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
206/2	0.74
योग . .	<u>0.74</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर बांध के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जल स्तर से ग्राम चांदेल, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की निजी कृषि भूमि ढूब में आने से भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र. 13 खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. . .-2020एलए/भू-अर्जन प्र. क्र. 0001-अ-82-2020-21.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1) के अंतर्गत, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय-सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है एवं अधिनियम की धारा 43 में वर्णित प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
- (ख) तहसील—खण्डवा
- (ग) ग्राम—तोरणी
- (घ) अर्जित रकबा—26.511 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/1	0.600
2/2	0.400
3	0.300
22/1	1.800
4	0.290
5	0.130

(1)	(2)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
6	0.940	
7	0.040	
8	0.400	सतना, दिनांक 17 अगस्त 2021
9	0.300	
19	1.650	क्र. 240-भू-अर्जन-2021.—म. प्र. पा.ज.कं. लि. सिरमौर के
10	0.830	अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम गोलहटा
14	0.070	तहसील कोटर की निजी भूमियों का अधिग्रहण भू-अर्जन अधिनियम,
11	0.040	1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र
13	1.140	से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ
15	0.290	ही अन्य विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें
18	0.520	इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि
45	0.570	मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक
20/1	2.000	परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक-4 के अनुसार वापस की जाना है:—
20/3	0.87	
21	0.130	अनुसूची
22/3	1.600	
24	1.900	(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
25	1.450	(क) जिला—सतना
48	0.880	(ख) तहसील—कोटर
52	0.520	(ग) नगर/ग्राम—गोलहटा
22/2	0.830	(घ) क्षेत्रफल—121.006 हेक्टेयर.
26	0.031	
43	0.410	वापसी योग्य वापसी योग्य
44	0.150	खसरा क्रमांक रकबा
58	0.740	(1) (2)
59	2.040	682/1400 3.221
205/1	0.020	706 0.219
205/4	0.100	701 1.485
206/2	0.440	702 0.995
207	0.89	722 0.906
20/2	1.200	1129 0.101
योग . .	<u>26.511</u>	705/1401 1.404
		686 0.113
		687 0.089
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रोशिया तालाब योजना शीर्ष कार्य निर्माण हेतु.		688 0.364
		689 0.356
		610 0.065
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है.		693 0.194
		692 0.595
		694 1.643
		695 0.198
		696 1.829
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्य द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.		697 0.194
		714/2 0.154

(1)	(2)	(1)	(2)
740	0.158	609	0.393
741	2.448	610	0.162
698	1.108	633	0.093
699	0.053	642	0.097
1144	0.583	644	0.198
714/1	0.150	677	0.356
715	0.049	611	0.247
742	0.926	621	0.295
744	0.178	616/617/618	0.190
745	1.267	612	0.356
1140	0.520	614	0.198
794	0.061	619	0.768
795	0.676	668	0.130
716	0.312	620	0.316
590	0.166	613	0.214
591	0.611	671	0.036
600	0.121	672	0.510
601	0.316	674	0.210
603	0.360	615	0.210
602/1	0.130	622	0.206
638	0.170	643	0.304
604	0.194	623	0.210
646	0.231	624	0.930
673	0.445	667/2	0.024
709	0.049	667/1	0.024
710	1.348	625	0.487
767	0.146	626	0.490
750	0.275	627	0.010
751	1.080	629	0.166
605	0.374	628	0.603
647	0.206	631	0.470
812	0.198	796	0.093
743	0.049	797	0.563
748	1.100	632	0.057
749	0.032	649	0.109
764	0.368	663	0.129
765	0.295	635	0.142
766	0.158	652	0.109
738	0.733	654	0.295
1145	0.032	636	0.057
606	0.113	653	0.243
634	0.105	637	0.174
662	0.287	655	0.170
607 शा. न. 608	0.721	639	0.295
759/2	0.024	640	0.138

(1)	(2)	(1)	(2)
676	0.198	737	0.749
641	0.356	735	0.575
648	0.493	1148	0.024
719	0.106	736	0.684
725	0.162	1147	0.036
728	0.437	758	1.761
651	0.383	759/1	0.324
658	0.147	763	0.239
656	0.247	770	1.360
657	0.235	774	0.583
660	0.320	775	1.534
661	0.348	798	0.490
664	0.117	602/2	0.125
717	0.571	800/2	0.502
718	0.061	801/2	0.032
723	0.061	799	0.174
726	0.069	801/1	0.097
727	1.380	800/1	1.505
724	0.129	802	0.632
665	0.210	808	0.530
666	0.202	809	0.009
670	0.178	815/2	0.235
768	0.344	804	0.433
803	0.181	805	0.498
675	0.295	806	0.368
678	0.117	826	0.093
682	0.263	807	0.166
684	0.563	811	0.514
700	0.611	810	1.497
703	1.202	814	0.957
704	0.595	828	0.404
705	0.263	829	0.320
683	0.668	830	0.809
685/1	0.170	831	0.676
712/1	0.695	832	0.624
707	0.125	833	0.841
708	0.886	1130	0.089
713	0.182	1131	0.798
746	1.375	1132	0.235
747	0.045	1133	0.575
720	1.064	1134	0.575
721	0.388	1135	0.583
729	0.409	1136	0.085
731	0.231	1137	1.015
734	1.538	1138	0.127

(1)	(2)	(1)	(2)
835	1.200	825/1	0.016
1125	0.077	827	0.306
1126	0.700	824/2	1.061
1127	0.688	825/2	0.016
1128	0.551	756	0.575
849	0.669	894	0.182
711/2	0.405	757	0.050
1150	2.380	854/2	0.769
685/2	0.174	853/1	0.097
711/3	0.405	854/1	0.870
685/3	0.174	816/1	0.125
712/2	0.496	818/1	0.190
711/1	0.424	816/2	0.130
685/4	0.174	818/2	0.186
621/2	0.065	681	0.405
820	0.300	752	0.146
760	0.146	813	0.243
852/1	0.024	732	0.255
852/2	0.024	659/2	0.275
850/2	0.662	659/1	0.280
845	0.680	669	0.166
817	0.364	772/1	0.012
772/2	0.299	828	4.043
771	3.666	851/2	0.559
891	0.704	739	0.134
762	0.652	योग . .	<u>121.006</u>
815/2	0.235		
889	0.680	(2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भू-अर्जन संभाग म. प्र. पा. ज. कं. लि. सिंरमौर (म. प्र.) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने के कारण मूल भूमि स्वामियों/उनके जायज वारिसों को भूमि वापसी हेतु.	
890	0.129		
645	0.166	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.	
761	0.283		
853/3	0.081		
854/3	0.768		
850/1	0.662		
753	1.970		
824/1	1.208		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2021

क्र. B-5357-दो-2-28-2017.—श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 19 से 24 अप्रैल 2021 तक छह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 1 अप्रैल से दिनांक 27 जुलाई 2021 तक एक सौ अठाह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर, श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उप नियंत्रक (लेखा), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो उप नियंत्रक (लेखा) के पद पर कार्यरत् रहते।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2021

क्र. B-5168-दो-2-41-2021.—श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को दिनांक 26 जुलाई से 14 अगस्त 2021 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर, श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. B-5172-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 30 से 31 जुलाई 2021 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर, श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. B-5174-दो-2-102-2017.—श्री हृदेश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 29 जुलाई से 7 अगस्त 2021 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 29 से 30 जुलाई 2021 तक का तथा दिनांक 7 अगस्त 2021 का कुल तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. B-5180-दो-2-14-2014.—श्री अमर नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 26 से 31 जुलाई 2021 तक, छह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. B-5182-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 12 से 14 अगस्त 2021 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. B-5185-दो-2-29-2020.—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी का दिनांक 9 से 14 अगस्त 2021 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 10 से 14 अगस्त 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. B-5187-दो-2-50-2020.—श्री आर. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 3 से 18 अगस्त 2021 तक, सोलह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. B-5189-दो-2-47-2021.—श्रीमती सविता दुबे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 30 जुलाई से 7 अगस्त 2021 तक, नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 6 से 7 अगस्त 2021 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. B-5193-दो-2-42-2020.—श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 11 से 13 अगस्त 2021 तक, तीन दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर, श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. B-5197-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 9 से 14 अगस्त 2021 तक, छह दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 अगस्त 2021 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर, डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. B-5199-दो-2-33-2020.—श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय,, रत्लाम को दिनांक 2 से 11 अगस्त 2021 तक, दस दिन का कम्प्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर, श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रत्लाम को रत्लाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. B-5201-दो-2-11-2015.—श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 23 अगस्त से 4 सितम्बर 2021 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 22 अगस्त 2021 तक के साथ अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 सितम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर, श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. B-5203-चार-8-42-1977 भाग-सोलह.—श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 23 से 26 अगस्त 2021 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 से 22 अगस्त 2021 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर, श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहतीं।

क्र. B-5205-दो-2-29-2020.—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 25 से 28 अगस्त 2021 तक, चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 23 से 24 अगस्त 2021 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. B-5207-दो-2-29-2020.—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 25 से 28 अगस्त 2021 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. B-5209-दो-2-52-2016.—श्री राजेश कुमार कोष्टा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2021 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 सितम्बर 2021 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 सितम्बर 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर, श्री राजेश कुमार कोष्टा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार कोष्टा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. B-5211-दो-2-50-2020.—श्री आर. पी. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 23 अगस्त से 3 सितम्बर 2021 तक, बारह दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. B-5219-दो-2-61-2018.—श्री अचल कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को दिनांक 5 से 14 अगस्त 2021 तक, दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर, श्री अचल कुमार पालीवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अचल कुमार पालीवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. D-4243-दो-2-37-2020.—श्री विवेक कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 28 से 31 जुलाई 2021 तक चार दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 28 जुलाई से 7 अगस्त 2021 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 अगस्त 2021 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर, श्री विवेक कुमार गुप्ता, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

क्र. D-4245-दो-2-14-2014.—श्री अमर नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 9 से 14 अगस्त 2021 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर, श्री अमर नाथ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश, वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत् रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।